

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(भू-अभिलेख अधिकारी)भीम, जिला-राजसमन्द
प्रकरण संख्या - 10/2023

01. श्री किशोरसिंह पुत्र पीथासिंह रावत ।
02. श्री प्रतापसिंह पुत्र पीथासिंह रावत ।
03. श्री सुरेन्द्रसिंह पुत्र पीथासिंह रावत ।
04. श्रीमति सीतादेवी पत्नि पीथासिंह रावत समस्त निवासीयन नीचली मिल्याथडी तहसील भीम जिला राजसमन्द ।

.....प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द

.....अप्रार्थी

उपस्थित:-


01. प्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्री भगतसिंह ।
02. स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार भीम ।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम वास्ते पत्थरगढी

निर्णय

दिनांक: 10.05.2025

01. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थी के स्वामित्व, आधिपत्य व खातेदारी भूमि ग्राम सदारण पटवार हल्का कूकरखेडा तहसील भीम में स्थित है जिसके खसरा नम्बर क्रमशः 1296, 1297 रकबा क्रमशः 0.0486, 0.0445 है0 भूमि है। प्रार्थी इस भूमि का निर्धारित लगान प्रतिवर्ष जमा करा रहा है। यह भूमि मौके पर खुली पडी हुई है। इस भूमि के कोई स्थाई सीमा चिन्ह अथवा पत्थर की स्थाई दिवार बनी हुई नहीं है जिससे उक्त आराजियात की सीमा स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अतः उक्त भूमि की बाद नपती पत्थरगढी हो जाती है तो भूमि की सीमाएं स्पष्ट हो जाएगी। अतः प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।
02. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युत्तर में राज्य सरकार की ओर से पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर न्यायालय को जवाब पेश किया जिसमें प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी कराये जाने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होना निवेदन किया। हमने उभय पक्षकारान् की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिए कि प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार है और कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करा सकता है उक्त ग्राम की नकल, जमाबंदी वर्ष 2077 स्थाई में प्रार्थी सह खातेदार है।
03. उपरोक्त आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सदारण पटवार हल्का कूकरखेडा तहसील भीम की भूमि का खसरा नम्बर क्रमशः 1296, 1297 रकबा क्रमशः 0.0486, 0.0445 है0 भूमि की पत्थरगढी करने के आदेश दिए जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जावे कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा करा कर एवं अन्य सहखातेदारान की सहमति बाद मौके पर पक्षकारन की उपस्थिति में पत्थरगढी कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।


सहायक कमिश्नर एड
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द